

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2023/103435/LLP/LALITPUR/239/CF0

दिनांक: 23-12-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स PAHALWAN GURUDEEN PUBLIC SCHOOL BY SITARA DEVI (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता Khasara No-1595-2,1616,1617,1618 and 1637,VILLAGE- PANARI,LALITPUR तहसील - LALITPUR, प्लॉट एरिया 8000.00 sq.mt , कुल कवर्ड एरिया 2382.39 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PAHALWAN G P SCHOOL	3	0	12.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स PAHALWAN GURUDEEN PUBLIC SCHOOL BY SITARA DEVI द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 02-01-2024 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री SITARA DEVI,sryadav0976@gmail.com,9205802260 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 02-01-2024 से 01-01-2027 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स PAHALWAN GURUDEEN PUBLIC SCHOOL BY SITARA DEVI अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स PAHALWAN GURUDEEN PUBLIC SCHOOL BY SITARA DEVI अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : स्कूल पूर्व में Deputy Secretary Affiliation Central Board of Secondary Education के पत्र संख्या: CBS/Aff/SL01664 Dated- 09-11-2020, Affiliation No-2133629, द्वारा मान्यता प्राप्त है। तथा प्रश्रुत भवन वर्ष-2022 से पूर्व निर्मित/ संचालित है। उत्तर प्रदेश सरकार गृह(पुलिस) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या: 18/छ:-पु0-8-2022/905(34)/2016 टी0सी0 दिनांक: 07-01-2022 में निहित विद्यमान भवनों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने विषयक आदेश के अनुपालन में निर्गत।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Matloob Husain)

[2762F2D9113D1F5B9326C5F27D64772D8C7C766F]

02-01-2024

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-01-2024
स्थान : LALITPUR